

पत्र संख्या : ७ब / ४७०२ यो०ज०स०-१८/१२

७।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका,
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : २६.६.१२

विषय :-

मॉग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-१६-भूगर्भ जल सर्वेक्षण / पुर्नभरण एवं जल संरक्षण, विस्तृत शीर्ष-०७-अन्य व्यय, ५९ अन्य व्यय, विपत्र कोड-५०P470200796160759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष, के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	५०-लघु सिंचाई विभाग / ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	लघु शीर्ष-७९६-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष - १६ - भूगर्भ जल सर्वेक्षण / पुर्नभरण एवं जल संरक्षण,	०७-अन्य व्यय, ५९ अन्य व्यय, ५०P470200796160759	३०.००

आवंटित राशि – ₹ तीस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ३०.०० लाख (तीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत एवं परिशिष्ट-१ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट :** यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु० :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

71

रॉची, दिनांक :- 26.6.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकू.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-

71

रॉची, दिनांक :- 26.6.12


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :- यथोक्त


(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता



(सुनील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

/ रॉची, दिनांक - २६.६.१२

पत्रांक -

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विधान,

मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

लघु शीर्ष-796-जल जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उपशीर्ष-16-भू-गर्भ जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण,

विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय,

विपत्र कोड-50P470200796160759

बजट उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 30.00 लाख

राशि (लाख रु. में)

क्र.	लघु सिंचाई प्रमङ्गल	जिला	मुख्य अभियंता परिक्षेत्र	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग		मार्च 2012	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			आवृद्धि				
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	आवंटन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमङ्गल, रॉची	रॉची	भूगर्भ जल निवेशालय, रॉची	भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण एवं रुफटॉप रेनवाटर रुफटॉप रेनवाटर हार्डिंग प्रक्रिया द्वारा भू-गर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण कार्य	39.970	33 / 15.01.11	26.59501	0.000	8.320	8.320				
				योग	43.20744	0.000	14.750	14.750						
2	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमङ्गल, तुमका	तुमका	भूगर्भ जल निवेशालय, रॉची	भूगर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण एवं रुफटॉप रेनवाटर हार्डिंग विषय पर प्रचार-प्रसार रुफटॉप रेनवाटर हार्डिंग प्रक्रिया द्वारा भू-गर्भ जल के कृत्रिम पुनर्भरण कार्य	10.000	33 / 15.01.11	5.94517	0.000	4.000	4.000				
				योग	19.47962	0.000	15.250	15.250						
				कुल योग	62.68706	0.000	30.000	30.000						
आवांटित राशि - ₹ तीस लाख मात्र।														

(ओकार नाथ)
सहायक अभियंता(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव